

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 5060 /मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 24, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : मैनपुरी में शिकोहाबाद-भौगोंव मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं धिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/26/2018/एफसी/335, दि0 02.04.2018, उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0-51/14-2-2018-800(18)/2018, दिनांक 16.04.2018, महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनायें व अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को स्वीकृति हेतु पुनः उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कराकर संशोधित प्रस्ताव वापस उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक-5334/14-1, दि0 21.05.2018 द्वारा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः वन संरक्षक, आगरा के उक्त पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / **उक्तदिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मैनपुरी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मैनपुरी।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।